

# लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर

## LNUPE

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत)

Lakshmbai National University  
of Physical Education, Gwalior



भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  
शक्ति नगर, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर-474002 (म.प्र.)  
Shakti Nagar, Race Course Road, GWALIOR-474002 (M.P.)  
Tele: 0751-4000902; Fax: 4000992  
Web: <http://www.lnupe.gov.in>

(under section 3 of the UGC Act, 1956)  
Govt. of India, Ministry of Youth Affairs & Sports

क्रमांक: ARA/Bye Laws/Discipline/46/2011/163


दिनांक: 28 नवम्बर 2011

### कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल ने एजेण्डा बिन्दु -07 के तहत 04.11.2011 को सम्पन्न अपनी 49वीं बैठक में 'संस्थान के विद्यार्थियों के बीच उपयुक्त आचरण एवं अनुशासन से संबंधित उपविधि' (BY-LAWS ON DISCIPLINE AND PROPER CONDUCT AMONG THE STUDENTS OF THE INSTITUTE) के संबंध में विद्वत परिषद की 19.10.2011 को सम्पन्न 28वीं बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया। ये उपविधि इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों के अनुशासन से संबंधित इस उपविधि को संस्थान के बेवसाइट (Student's Corner) पर अपलोड किया गया है जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड किया जा सकता है। इस विधि के प्रावधानों के अनुरूप सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे यथाशीघ्र 'विभागीय अनुशासन समिति' (DEPARTMENTAL DISCIPLINE COMMITTEE) के गठन का प्रस्ताव कुलपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें तथा अनुशासन से संबंधित सारे मामले इस उपविधि के तहत क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें।

(प्राधिकार : प्रबन्ध मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 23.11.2011 एवं कुलपति महोदय का आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011)

  
(डॉ. एल.एन. सरकार)

कुलसचिव

#### प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव सचिवालय
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
4. परीक्षा नियंत्रक
5. सभी विभागाध्यक्ष
6. सभी संकाय सदस्य के सूचनार्थ
7. सभी वार्डन
8. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
9. सहायक कुलसचिव (प्रशा. एवं विधि)
10. श्री दीपेन्द्र सिंह : वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. विद्यार्थी पटल
12. पंजी